न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/रसद/07/2018

देवकीनन्दन शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जैसोरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....रेस्पो0

प्रथम अपील विरुद्व आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 14–12–2017 प्रकरण संख्या 25/17 व 46/17

उपस्थितिः–

1–अशोक सिंघल ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2017 विधि के प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ पेश की गई है। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी खिलाफ कानून व रिकॉर्ड के विपरीत है जो काबिल निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने आज्ञा देने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। प्रकरण संख्या 25/2017 तथा प्रकरण संख्या 46/2017 का निस्तारण पूर्व में चल रहे विभागीय प्रकरण संख्या 25/2014 का निस्तारण एक साथ प्रकरण संख्या 25/2014 की पत्रावली पर कल्ब कर इस प्रकार से किया गया है कि अपीलांट को ज्ञात ही नहीं हुआ कि उसके विरूद्व प्रकरण संख्या 46/2017 तथा प्रकरण संख्या 25/2017 भी विचाराधीन हैं। ऐसे करके तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट के ट्रायल फेस करने के विधिक अधिकारो का हनन किया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिज है। प्रकरण संख्या 46/17 में मात्र 10 किग्रा0 चीनी के दुरूपयोग किये जाने के आधार पर ही उसक लाईसेन्स को निरस्त कर कानूनी भूल की है तथा प्रकरण संख्या 25/14 में भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट को दोषसिद्व नहीं किया है महज प्रसंज्ञान लेने के आधार पर ही अपीलांट को दोषसिद्व नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा विगत कई वर्षों से नियमानुसार राशन वितरण किया जा रहा है। जिसके स्टॉक रजिस्टर का भौतिक सत्यापन तहत न्यायालय व राज्य सरकार के नियमानुसार कर्मचारियों द्वारा समय समय पर किया जाता है।

यदि समस्त रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी गई होती तो अपीलांट को दण्डित अवश्य किया जाता । अपीलांट का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए जा रहा था जो कि रास्ते में कहीं गिर गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गढीबाजना तहसील बयाना में दिनांक 04.10.2017 को दर्ज कराई गई थी। तहत न्यायालय ने अपने जैर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,10,11,15 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन माना है। तहत न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया है जिसमें यह नहीं बताया गया कि अपीलांट के अनियमितताओ को किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 14.12.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई। पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर पर विभागीय प्रकरण संख्या 46/2017, 25/2014 पूर्व में दर्ज हैं तथा दिनांक 06.05.2014 को अप्रार्थी डीलर के विरूद्व पुलिस थाना गढी बाजना मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2014 दर्ज कराई गई थी। अप्रार्थी डीलर द्वारा उसके प्रकरणों में जारी कारण बताओ नोटिस का जबाब नहीं दिया गया। इस स्थिति में डीलर के विरूद्व लगे आरोप जिसमें रिकार्ड व दस्तावेज का संधारण नहीं करना, 10 किग्रा0 चीनी का दुरूपयोग, दुहरे इन्द्राजों से 564 लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग, पुनः 260 किग्रा0 गेंहू, 57.5 लीटर कैरोसीन व 8 किग्रा0 चीनी का दुरूपयोग प्रमाणित होता है। अतः कुल 260 किग्रा0 गेहूं, 18 किग्रा0 चीनी तथा 615.5 लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,10,11,15 व 17 सी का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 5,10,11,15 व 17 (सी) का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथतहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official